(ख) प्रत्येक वितरक और उसके कार्य स्थल का नाम संलग्न विवरण में दिया जा रहा है [देखिये परिशिष्ट cxlii अनुबंध सं० 71]

(ग) सप्लाई के लिये रिफिलों की कुकिंग उपभोक्ताओं द्वारा समय-समय पर उनकी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार की जाती है ।

(घ) से (च) सामान्यता, रिफिलों की सप्लाई उपभोक्ताओं द्वारा समय-समय पर की गई कुकिंग के अनुसार की जाती है । ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सप्लाई में कुछ दिनों की देरी हुई हो, परन्तु रिफिल कुकिंग के प्रति सप्लाई को बन्द करना अथवा छः महीने तक की देरी होने का प्रश्न नहीं उठता । अतः गोपनीय जांच की न तो आवश्यकता है न ऐसा प्रस्ताव है ।

**दिल्ली में घरेलू गैस के वितरकों को 300 रुपये से कम प्रतिभूति राशि के अन्तरित किये गये वाउचर**

1455. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में घरेलू गैस वितरकों को लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, देहरादून और मेरठ से 300 रुपये से कम प्रतिभूति राशि के अन्तरित किये गये कितने वाउचर क्रमशः साहबार प्राप्त हुये ;

(ख) क्या यह सच है कि सभी वाउचर, जिनकी सत्यता की पुष्टि वितरकों द्वारा की गयी है, वास्तव में की जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अन्तरित किये गये वाउचरों की सत्यता की जांच इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के सतर्कता अनुभाग द्वारा करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या ट्रांसफर वाउचर वास्तव में असली है अथवा जाली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त):** (क) यह विचार करते हुये कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ में एल०पी०जी० वितरकों की कुल संख्या 250 से अधिक है और तीन वर्षों की मासवार सूचना मांगी गई है, इस सूचना के एकत्र करने और उसे समेकित करने में निहित प्रयास वांछित प्रयोजन के अनुकूल नहीं होंगे ।

(ख) से (घ) निर्धारित पद्धति के अन्तर्गत सभी प्राप्त होने वाले टर्मिनेशन वाउचरों का प्राप्त करने वाले वितरकों द्वारा टर्मिनेशन वाउचर जारी करने वाले वितरक से सत्यापन कराया जाता है । अगर टर्मिनेशन वाउचर नकली पाये जाते है, तो संबंधित तेल कम्पनी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है । अतः इंडियन कारपोरेशन आयल के सतर्कता विंग द्वारा अन्तरण वाउचरों की असलियत की जांच कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**Coercive sale of LPG stoves**

1456. SHRI K. GOPALAN:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether any member of Parliament has brought to the notice of Government the specific allegation against M/s. Jangajeet Enterprises regarding coercive sale of LPG stove to customer;

(b) if so, what is the nature of the allegation;

(c) whether any enquiry has been ordered; if not, what are the reasons therefor; and

(d) what measures are being taken by Government to prevent the gas agency from harassing the customers?